

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्या- 4170/ली /कय/ग.आ./2018-19/ दिनांक 17.10.2018

विज्ञप्ति


उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-12(1) के अन्तर्गत पेराई सत्र 2018-19 के लिए प्रदेश की चीनी मिलों के गन्ना आवश्यकता निर्धारण किये जाने हेतु इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-3077/सी/कय/ग.आ./2018-19 दिनांक 06.07.2017 द्वारा अध्यासी, समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश से गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31.07.2018 तक प्रस्ताव मांगे गये थे। तत्कम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-4063/सी/कय/ग.आ./2018-19 दिनांक 28.09.2017 द्वारा गन्ना आवश्यकता नीति का निर्धारण किया गया है।

उपर्युक्त के क्रम में टिकौला शुगर मिल्स लि., टिकौला जिला मुजफ्फरनगर, लक्ष्मी शुगर मिल्स लि. (अजुध्या शुगर मिल्स लि.) बिलारी जिला मुरादाबाद, अपर दोआब शुगर मिल्स लि., शामली जिला शामली, सुपीरियर फूड्स लि., उन्न जिला शामली एवं डी.एस.सी.एल. शुगर, हरियावां जिला हरदोई द्वारा प्रस्तुत क्षमता विस्तारीकरण के प्रस्ताव के परीक्षण हेतु गठित समिति की प्राप्त रिपोर्ट क्रमशः पत्र संख्या-1216/विकास/क्षमता विस्तारीकरण दिनांक 16.10.2018 एवं पत्र संख्या-1225/विकास/क्षमता विस्तारीकरण दिनांक 17.10.2018 के अनुसार उपलब्ध करायी गई आख्या के आधार पर उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-12(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, संजय आर. भूसरेड्डी, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रदेश की निम्नांकित चीनी मिलों को उनके नाम के सम्मुख अंकित मात्रा को पेराई सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार उनकी गन्ने की आवश्यकता का अनुमान घोषित करता हूँ:-

क्र० सं०	जनपद	नाम चीनी मिल	स्थान	पेराई सत्र 2018-19 हेतु गन्ने की आवश्यकता का अनुमान (Estimate) (ला०कु०)
1	2	3	4	5
1	मुजफ्फरनगर	टिकौला शुगर मिल्स लि.	टिकौला	143.52
2	मुरादाबाद	लक्ष्मी शुगर मिल्स (अजुध्या शुगर मिल्स लि.)	बिलारी	77.40




3	शामली	अपर दोआब शुगर मिल्स लि.	शामली	128.40
4	शामली	सुपीरियर फूड्स प्रा.लि.	ऊन	94.86
5	हरदोई	डी.एस.सी.एल. शुगर लि.	हरियावां	236.47


 (संजय आर. मूसरेड्डी)
 गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या--4170/ली/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उ.प्र. शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि., लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से उपर्युक्त विज्ञप्ति सर्वसम्बन्धित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य प्रचार अधिकारी, मुख्यालय।
10. आई.टी.अनुभाग, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।


 (विश्वेश कर्नोजिया)
 संयुक्त गन्ना आयुक्त(कय)
 कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।